



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 14.11.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने अवैध शराब सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवम् परिवहन की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 13.11.2021 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेजबहादुर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्रीमती रीता सिंह द्वारा गठित उ0नि0 सूरज प्रसाद के नेतृत्व में टीम ने अभियान के तहत अभियुक्त इन्द्रजीत पुत्र जयाराम अहिरवार उम्र करीब 33 वर्ष को एक थैले में 24 अदद क्वार्टर देशी ठेका (दिल से) नाजायज शराब के साथ हरपालपुर रोड स्थित यादब ढाबा वट्टद ग्राम बगरौनी थाना महोबकंठ जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया एवं जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 156/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 सूरज प्रसाद
2. कां. शेष नारायण

गिरफ्तार अभियुक्त-

इन्द्रजीत पुत्र जयाराम अहिरवार उम्र करीब 33 वर्ष निवासी ग्राम नौसारा थाना चरखारी जिला महोबा हाल पता गलान रोड कस्बा व थाना हरपालपुर जिला छतरपुर म.प्र।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 14.11.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना अजनर की पुलिस टीम ने शातिर जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा, जिन्दा कारतूस सहित धारदार चाकू किया बरामद-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवम् परिवहन की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेजबहादुर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना अजनर प्रभारी श्री मलखान सिंह के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा दिनांक 13.11.2021 को जिलाबदर अपराधियों के सत्यापन तथा अवैध शस्त्र धारकों के विरुद्ध चलाये जा रहे चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के तहत अभियान के अनुपालन में मुखविर की सूचना पर जिलाबदर शातिर अभियुक्त भूपेन्द्र उर्फ भूपू राजपूत पुत्र दुलीचन्द्र राजपूत उम्र 25 वर्ष ग्राम खमा से गिरफ्तार किया गया जिसकी जामातलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर देशी नजायज व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 01 अदद धारदार चाकू नाजायज रूप में बरामद हुआ, जिसके आधार पर थाना हाजा मु.अ.स. 201/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट , मु.अ.स. 202/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व मु.अ.स. 203/21 धारा 10 यूपी गुण्डा नियंत्रण अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. अजनर थाना प्रभारी श्री मलखान सिंह ।
2. का. आशीष कुमार 3. का. रवि कुमार 4. का. पीयूष सिंह
5. का. विजय निरंकारी 6. का. दीपक यादव

बरामदगी- 01 अदद तमंचा 12 बोर देशी नजायज व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर एक चाकू नाजायज

आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.स. 438/19 धारा 302/450/397/449/120बी भादवि थाना नौगाव जिला छतरपुर म.प्र.
2. मु.अ.स. 46/19 धारा 60 आवकारी अधि0 थाना अजनर जिला महोबा
3. मु.अ.स. 142/20 धारा 452/323/504/506 भादवि व 3(1) द,ध 3(2)5 क **SC/ST ACT** अजनर
4. मु.अ.स. 224/20 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना कोतवाली जिला महोबा



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 14.11.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



चोरी करने आये चोर नहीं हो सके सफल,

02 अभियुक्त किये गये गिरफ्तार -

आज दि० 14.11.21 को श्री हीरालाल पुत्र गिल्ला रैकवार नि० ग्राम लुहेडी थाना श्रीनगर महोबा द्वारा मय हमराह पुत्र व भाई के उपस्थित थाना आकर दो नफर अभियुक्तों को सुपुर्द कर सूचना दी गई कि आज रात्रि 12.15 बजे 4 नफर अभि०गणों द्वारा वादी के घर में घुसकर 50000 रुपये चोरी कर लिये गये, घरवालों के जाग जाने पर अभि०गण छत से कूदकर भागने लगे। जिसमें अभियुक्त भान रैकवार व रोहित कुमार पैरो में चोट लग जाने के कारण भाग नहीं सके व घरवालों द्वारा पकड़ लिया गया तथा दो नफर अभियुक्त मौके से भाग गये।

वादी द्वारा दाखिल तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 165/21 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत कर वादी द्वारा पकड़े गये अभि०गणों को पुलिस हिरासत में लिया गया। भागे हुये अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तारशुदा अभि०गणों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये मान० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. भान सिंह रैकवार पुत्र धनीराम रैकवार
2. रोहित पुत्र रामकिशोर

निवासीगण नई बस्ती कस्बा व थाना मऊरानीपुर जिला झाँसी





प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:- 14.11.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



**थाना महोबकंठ क्षेत्रान्तर्गत कबूतरा डेरा में संयुक्त पुलिस टीम का छापा, 4200 लीटर अवैध शराब बरामद ।
मौके से 04 अदद शराब भट्टी व शराब बनाने उपकरण बरामद, करीब 65 कुन्तल लहन को किया गया नष्ट ।**



नि० श्री शिवआसरे मय हमराही कर्मचारी गण व चौकीदारान की टीम ने थाना महोबकंठ क्षेत्रान्तर्गत मुखबिर की सूचना पर संयुक्त दविश/अभियान चलाकर 04 नफर अभियुक्ताओं को शराब भट्टी लगाकर अवैध मदिरा निष्कर्षण करते समय मौके पर गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 04 अदद चढ़ी शराब भट्टी व करीब 4200 ली. अवैध कच्ची देशी शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किये गये व घटना स्थल पर फूल रहा करीब 65 कुन्तल लहन को मौके पर नष्ट किया गया । उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्ताओं के विरुद्ध थानाहाजा पर क्रमशः मु.अ.स. 158/2021 से 161/2021 तक धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवम् परिवहन की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 14.11.2021 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेजबहादुर सिंह के नेतृत्व में आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये शराब के अवैध कारोबार पर नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में **03 थानों की संयुक्त पुलिस टीमों का गठन किया गया** जिसमें थाना महोबकंठ प्र०नि० श्रीमती रीता सिंह मय हमराही व थाना प्रभारी अजनर श्री मलखान सिंह मय हमराह, व थाना पनवाड़ी प्र०

1. निर्मला पत्नी कपिल कबूतरा उम्र करीब 35 वर्ष
 2. संगम पत्नी पिन्टू कबूतरा उम्र करीब 32 वर्ष
 3. किशना पत्नी नरेश कबूतरा उम्र करीब 56 वर्ष
 4. संजा पत्नी प्रदीप कबूतरा उम्र करीब 30 वर्ष
- समस्त निवासीगण कबूतरा डेरा ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा उ०प्र०



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 14.11.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



बरामदगी का विवरण-

1. चार अदद भट्टी/शराब बनाने के उपकरण
2. करीब 4200 लीटर देशी कच्ची शराब नाजायज
3. करीब 65 कुन्तल लहन (मौके पर नष्ट किया गया)

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्रीमती रीता सिंह थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा

1. उ०नि० श्री सूरज प्रसाद
2. उ०नि० श्री सुनील कुमार
3. का. अंकुश कुमार थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा
4. रि.का. अभिषेक झा थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा
5. चालक हे.का. सन्तोष थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा
6. कां. अमोल यादव
7. कां. सज्जनलाल
8. कां. पंकज पाल
9. कां. विशाल नामदेव
10. कां. संजय चौहान
11. कां. सुमित रैकवार
12. म.कां. आरती यादव
13. म.कां. प्रियंका

प्रभारी थाना श्री मलखान सिंह थाना अजनर जिला महोबा

1. का. नरेन्द्र बाबू थाना अजनर जिला महोबा
2. का. अशोक कुमार थाना अजनर जिला महोबा
3. कां. अरुण कुमार थाना अजनर जिला महोबा
4. म.कां. पिकीं थाना अजनर जिला महोबा
5. चालक का. बलजीत सिंह थाना अजनर जिला महोबा

प्रभारी निरीक्षक श्री शिवआसरे थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

1. कां. शिवसागर सिंह थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
2. कां. अवनीश सरोज थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
3. चालक आशोक कुमार दुबे थाना पनवाड़ी जनपद महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 14.11.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने एक नफर वारन्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 14.11.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल नेतृत्व में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम के निर्देशन में

व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेज बहादुर सिंह के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वाछिंत/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी अभियान के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ श्री उमेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने अपराध संख्या 119/17 धारा 379/411 भादवि न्यायालय ACJM कोर्ट महोबा से सम्बन्धित एक नफर वारण्टी अभियुक्त (1) राहुल पुत्र श्याम राजपूत उम्र 25 करीब वर्ष नि० ग्राम अण्डवारा थाना कुलपहाड़ जिला महोबा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

राहुल पुत्र श्याम राजपूत उम्र 25 करीब वर्ष नि० ग्राम अण्डवारा थाना कुलपहाड़ जिला महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1.उ०नि० विवेक कुमार यादव
- 2.कां० कलीम खान



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 14.11.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा यातायात माह नवम्बर के तहत अखंड हिन्द फौज के छात्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया, जनपदीय पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु अपने-अपने थाना क्षेत्र के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में भारी पुलिसबल के साथ भ्रमण किया गया



आज दिनांक 14.11.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय द्वारा अखंड हिंद फौज नाम की संस्था के बच्चों को यातायात नियम के बारे में बताया गया व नियमों को खुद व दूसरों को लागू करने के लिए भी प्रेरित कराएं इस संबंध में जानकारी दी गई समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मन्दिरों में पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही लोगों को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के प्रति सचेत करते हुए मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी सहित कोविड गाइडलाइन

का पालन करने की अपील की गई। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब कि दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत यातायात प्रभारी तथा जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक तथा राहगीरों को यातायात नियमों के संबंध में पम्पलेट भी दिए गये। इसी क्रम में महिला थाना प्रभारी शिल्पी शुक्ला द्वारा मय एंटी रोमियो टीम महोबा में मैन मार्केट और ऊदल चौक में छात्राओं से उनकी समस्याओं के बारे में जाना गया व उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर उन्हें महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 112 1076 आदि नंबरों से अवगत कराया गया तथा उन्हें यह भी बताया गया कि जनपद के प्रत्येक थाने में एक महिला हेल्पडेक्स की स्थापना की गई है जहां भी अपनी समस्याएं बता सकती हैं जिनका शीघ्र ही निस्तारण किया जाएगा

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **135** ई-चालान किये गये।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 14.11.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



Mahoba Police